भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –3569
उत्तर देने की तारीखः 10.12.2019

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों हेतु आयकर माफी

3569. सुश्री मिमी चक्रवर्तीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर माफी देने के लिए वित्त विभाग को लिखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) से (ग): इस मंत्रालय ने राजस्व विभाग से अनुरोध किया है कि वो दवा, चिकित्सा/पुनर्वास सेवाओं, देखभालकर्ता सहायता, परिवहन आदि की बढ़ी हुई लागत के कारण दिव्यांगजनों के जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को आयकर से छूट देने पर विचार करें।

जहां तक वरिष्ठ नागरिकों का संबंध है, आयकर लाभ उनके लिए उपलब्ध हैं और इस तरह यह मंत्रालय देश में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट देने के लिए वित्त विभाग को लिखने का प्रस्ताव नहीं करता है।

*****